संख्या 2434 / 16-प्रा0शि0-3-2008-40(22) / 2008

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा
उत्तर प्रदेश,कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 12 जनवरी,2009

विषय:- निजी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तरीय नई संस्था खोले जाने हेतु अनापत्ति प्रदान किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 14048/ई-एआईसीटीई/निजी क्षेत्र/एनओसी/बैठक/2008, दिनांक 17-9-2008 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 2003/सोलह प्रा0शि0-3-2008-40(8)/2008, दिनांक 20-12-2008 में दी गयी व्यवस्थानुसार श्री [illegible] महोदय शैक्षिक सत्र 2008-09 से प्रदेश के निजी क्षेत्र में निम्न पालीटेक्निक संस्था खोले जाने एवं उनके सम्मुख अंकित विवरणानुसार पाठ्यक्रमों को निम्न शर्तों के अधीन संचालित किये जाने पर राज्य सरकार की अनापत्ति निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

सोसायटी/ट्रस्ट का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अवधि
श्रीमती पार्वती मन्नदेवी, स्वरूप डेवलपमेंट, एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट मदनपुर, फिरोजाबाद	श्रीमती आर0एस0 सुमन उच्चतर प्राविधिक शैक्षणिक संस्थान, मदनपुर, फिरोजाबाद	(1) पी0जी0डी0 इन ब्यूटी एण्ड हेयर केयर	60	01 वर्षीय
		(2) पी0जी0डी0 इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	60	02 वर्षीय
		(3) डिप्लोमा मार्डन आफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस	60	02 वर्षीय
		(4) डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइंस	[illegible]	02 वर्षीय
		(5) [illegible]	60	02 वर्षीय

---2/--

प्रधानाचार्य
श्रीमती आर.एस.सुमन
यू.पी.एस. (पॉलीटैक्निक) संस्थान
मदनपुर (फिरोजाबाद)

प्रधानाचार्य
श्रीमती आर.एस. सुमन यू.पी.एस.
(पॉलीटैक्निक) संस्थान
मदनपुर फिरोजाबाद (उ0प्र0)

(2) संस्था द्वारा उपरिअंकित पाठ्यक्रम को प्रारम्भ/संचालित करने से पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा ।

(3) संस्था के उपरिअंकित पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त करना होगा ।

(4) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात ही संबंधित पाठ्यक्रमों को संचालित किया जायेगा ।

(5) संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये नीति/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों/आदेशों/निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी ।

(6) उपरिवर्णित पाठ्यक्रमों हेतु संस्था में छात्रों/छात्राओं के प्रवेश का कार्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही किया जायेगा तथा इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा ।

(7) संस्था के उपरिवर्णित पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके छात्र/छात्राओं की वार्षिक परीक्षा को सम्पन्न कराने एवं परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को डिप्लोमा प्रदान करने का कार्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा ही प्रदान किया जायेगा ।

(8) संस्था के उपरिवर्णित पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता का निर्धारण तथा उसमें कोई परिवर्तन केवल राज्य सरकार की अनुमति से ही किया जायेगा । दूसरे शब्दों में संस्था को स्वयं अपनी तरफ से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता को घटाने या बढ़ाने या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार न होगा । इस प्रकार प्रवेश क्षमता में परिवर्तन का अधिकार एक मात्र राज्य सरकार में ही निहित रहेगा ।

(9) संस्था द्वारा छात्र/छात्राओं से केवल उतना ही शिक्षण शुल्क लिया जायेगा जो कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा । इस सम्बंध में राज्य सरकार का निर्णय संस्था के लिए बाध्यकारी होगा । संस्था को स्वयं अपनी तरफ से शुल्क निर्धारण करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(10) संस्था राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने नियमों/आदेशों के अनुरूप छात्र/छात्राओं के प्रवेश में प्रवृत्त आरक्षण नीति का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

—3/—

प्रधानाचार्य
श्रीमन्त आर.एल.सुमन
यू.पी.एस. (पॉलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर (फिरोजाबाद)

(11) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इससे संबंधित किसी भी मुद्दे पर आवश्यक निर्देश अपनी स्वतः प्रेरणा से जारी कर सकेगी तथा राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए ट्रस्ट/सोसाइटी/संस्था बाध्य होगी।

(12) संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम-1962 एवं उसमें समय-समय पर हुए समस्त संशोधनों के प्राविधानों को मानने के लिए बाध्य होगी।

(13) प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता प्रदान किये जाने से पूर्व शासनादेश संख्या 3063/सोलह-प्रा०शि०-3-2003-46(6)/2002, दिनांक 20-12-2003 तथा यथासंशोधित शासनादेश संख्या 1192/सोलह-प्रा०शि० 3-2007-46 (6)/2002, दिनांक 29-10-2007 में निर्धारित सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं विधि का अनुपालन निदेशक प्राविधिक शिक्षा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा और उसके पश्चात ही संस्था को सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव

संख्या: 2434(1)/16-प्रा०शि०-3-2007-46(22)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, कानपुर।
3- सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
4- सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
5- सम्बन्धित संस्था।
6- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
अनु सचिव

प्रधानाचार्य
श्रीमन्त आर०एस० सुमन
यू०पी०एस० (पॉलीटेक्निक) संस्थान
मदनपुर (फिरोजाबाद)